<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.01.2025</u>
<u>संपूर्ण समाधान दिवस</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील तरबगंज में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया–</u>

<u>ऑपरेशन ″साइबर कवच'' अभियान के तहत राजस्व टीम व उपस्थित जनता को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक–</u>

आज दिनांक 20.01.2025 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में तरबगंज तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगण द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत–प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगण द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा–निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना–पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर ऑपरेशन ″साइबर कवच'' अभियान के तहत राजस्व टीम व उपस्थित जनता को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी। जागरूकता के दौरान उपस्थित सभी लोगो को पम्पलेट वितरित किए गए तथा इस जानकारी को अपने परिवार, आस–पड़ोस के लोगो में अधिक से अधिक बतायें जाने हेतु बताया गया। जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो सके।

<u>साइबर सुरक्षा टिप्स–</u>
01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।

10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, उपजिलाधिकारी तरबगंज, क्षेत्राधिकारी तरबगंज सहित राजस्व व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.01.2025</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज का किया गया औचक निरीक्षण, शिकायती प्रार्थना पत्रों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक निर्देश–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 20.01.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना तरबगंज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा थाना परिसर को साफ सुथरा रखने तथा कार्यालय में सफाई के साथ रिकार्डो को अद्यावधिक रखने हेतु प्र0नि0 तरबगंज को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा शस्त्रागार में शस्त्रों को नियमित साफ–सफाई करने के साथ–साथ भोजनालय कक्ष में पोषण युक्त भोजन तैयार करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। मिशन शक्ति कक्ष/महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों से महोदय द्वारा वार्ता कर घरेलू हिंसा एवं अन्य महिला सम्बन्धी अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं की काउंसलिंग के समय उनकी क्या भूमिका रहेंगी के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की गयी तथा शिकायतकर्ता को किस प्रकार सुना जायेगा, शिकायत पर किस प्रकार कार्यवाही की जायेगी, नए कानून को किस प्रकार से अमल में लाया जाएगा के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। महोदय द्वारा अपराध रजिस्टर चेक कर प्र0नि0 तरबगंज को अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस गश्त तेज करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही एचएस चेकिंग, लम्बित विवेचनाओ को गुणदोष के आधार पर निस्तारण व वांछित अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु भी आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए।

<u>इस मौके पर क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह, प्र0नि0 तरबगंज विवेक त्रिवेदी, पीआरओ पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.01.2025</u>

<u>'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 05 वर्ष कठोर कारावास व रूपये 6,000/– अर्थदण्ड की सजा–</u>

दिनांक 07.12.2021 को थाना कर्नलगंज पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिक लड़की के साथ विपक्षी अहमद हुसैन द्वारा छेड़छाड़ की गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज पर मु0अ0सं0–417/2021, धारा 323,354 भादवि व 9एम/10 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त अहमद हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री अरूण कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 02.03. 2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

<u>दोषसिद्धि का विवरण–</u>

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे आज दिनांक 20.01.2025 को उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री श्री अशोक कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर व थाना कर्नलगंज के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दोषी अभियुक्त अहमद हुसैन उर्फ जुबेर को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 6,000/– रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

<u>अभियुक्तगण का नाम पता–</u>

01. अहमद हुसैन उर्फ जुबेर नि0 महबूब नि0 सराय काजी थाना फखरूपुर जनपद बहराइच।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–417/2021, धारा 323,354 भादवि व 9एम/10 पाक्सो एक्ट थाना को0. कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 20.01.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्यारोपी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं रू 45,000/– के अर्थदण्ड की सुनायी सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.09.2022 को वादी रजीउद्दीन पुत्र हसन मोहम्मद नि0 ग्राम भटपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा की लिखित तहरीर पर थाना खरगूपुर में दहेज हत्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0–246/2022 धारा 498ए,304बी,302 भादवि 3/4डी0पी0 एक्ट बनाम 02 नामजद अभियुक्तों–01. रोज अली(ससुर), 02. वसीम (पति) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर श्री लक्ष्मीकान्त गौतम द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 04.12.2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 20.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना खरगूपुर में पंजीकृत महिला सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अभिनव चतुर्वेदी, थाना खरगूपुर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा साक्ष्यों को समय से न्यायालय में उपस्थित कराकर साक्ष्य पूर्ण करायी गयी। जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्रीमती नम्रता अग्रवाल द्वारा अभियुक्त वसीम पुत्र रोजअली को दोषसिद्ध करते हुए अजीवन कारावास व रू0 45,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा रोज अली को दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त का नाम पता–

01. वसीम पुत्र रोजअली नि0 ग्राम नरहरिया कल्लू पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–246/2022, धारा 498ए,304बी,302 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

सजा का विवरण

दोषसिद्ध अभियुक्त वसीम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी में अजीवन कारावास व ₹20,000– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, धारा 498ए में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/– रू0 के अर्थदण्ड, धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधि0 के अन्तर्गत 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15,000/– रू0 के अर्थदण्ड, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 के अन्तर्गत 01 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/– अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। सम्पर्ण अर्थदण्ड 45,000/– रू0 से दण्डित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।